न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

भागीरथराम (आरटीएस)

मि.न.169/17 दिनांक 23.11.17

सरकार बनाम दिनेश सिंह वगै0

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मलपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम केशवाना राजपूत तहसील कोटपूतली के ख0 न0 398/1.04है0किस्म बंजड मेंसे 1.04है0,400/1.60है0मेंसे 1.60है पर दिनेश सिंह ,उदयसिंह,बाबूसिंह पुत्रान कुन्दन सिंह, अशोक सिंह दत्तक पुत्र पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवासी केशवाना राजपूत तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने जोत कर नाजायज रूप से अतिकमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित आये तथा तथा जबाब पेश नहीं किया गया । अतः प्रत्रावली में संलग्न दस्तावेज तथा पटवारी हल्का रिपोर्ट का अवलोकन करने पर गैर सायलान का उक्त खसरा नंबर पर अतिकमण सिद्व होता है।इस लिये गैर सायलान के विरूद्व नियमानुसार अतिकमण हटाने की कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः गैर सायलान दिनेश सिंह ,उदयसिंह,बाबूसिंह पुत्रान कुन्दन सिंह, अशोक सिंह दत्तक पुत्र पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवासी केशवाना राजपूत को आ0ख0न0398/1.04,400/1.60है0पर अतिकमि घोषित करते हुए उक्त आराजियात पर की गई जोत को हटाया **जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिकमण** करने के आरोप में लगान राशी 5.32रू का पचास गुणा 266रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 23/11/17 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

... 17-1-18 ... रसीद संख्या 77 पर 266 रु ... किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली